न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00595

1. मोडू लाल आत्मज परसा जी जाति माली निवासी मोतीकुआ तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मन्नी बाई पत्नी दुर्गाशंकर सैनी पुत्री स्व0 श्री परसा जी माली निवासी पावर हाउस के पास, माता जी के मंदिर के सामने खाई रोड, नयापुरा कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेश पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण जी माली निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मुकेश स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण जी माली निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. सीता बाई पत्नी कैलाश जाति माली (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. ललिता पुत्री सीता पत्नी राजकुमार सुमन निवीस छावनी कोटा ।
   3/2. पवन उर्फ रिंकू पुत्र कैलाश माली निवासी कोटडी गोरधनपुरा कोटा ।
4. सुगना बाई पत्नी रामपाल (तलाकशुदा) निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. मंजू पत्नी रामस्वरूप माली निवासी पुलिस लाईन कोटा ।
6. भूली पत्नी रमेश माली निवीस बांस का कुआ के पास, झालावाड ।
7. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 27.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 व 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा में 17 किता की कुल रकबा 2.41 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 व 2 मृतक तीजू बाई के नाम दर्ज है । वादग्रस्त आराजी स्व0 नन्दा जी के खाते व कब्जे की थी जो

उनके स्वर्गवास के उपरान्त उनके पुत्र रतना, शंकर एवं परसा के खाते व कब्जे में आई । रतना का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी वादीगण की माता किशनी (मृतक) एक मात्र वारिस थी जिसका स्वर्गवास दिनांक 13.03.2007 को हो चुका है तथा वादीगण उसके वारिस एवं कायममुकामान हैं । शंकर एवं उनकी पत्नी लाऔलाद फौत हो चुके हैं तथा परसा की भी मृत्यु हो चुकी है । परसा की उत्तराधिकार प्रतिवादी कम 1 व 2 हैं । उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें शंकर लाऔलाद फौत हो जाने पर उक्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 01 व 2 का 1/2 हिस्सा है । उक्त भूमि में प्रतिवादी कम 01 व 2 ने मिलकर उक्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा तथा तीजूबाई का 1/2 हिस्सा दर्ज करवा लिया जबकि जमाबन्दी में वादीगण की माता किशनी बाई 1/3 तथा 1/3 में प्रतिवादी कम 1 व 2 तथा 1/2 में स्व0 तीजू बाई का नाम आना चाहिए था तथा तीजू की मृत्यु के उपरान्त स्व0 किशनी का नाम 1/2 हिस्सा खाते में दर्ज होना चाहिए था । वादग्रस्त आराजी पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड में रत्ना, शंकर, परसा पिसरान नन्दा जी व मुस0 नन्दू बेवा नन्दा जाति माली हिस्सा बराबर से खातेदारी में दर्ज रही है । रत्ना व रत्ना की पत्नी के एक मात्र पुत्री किशनी पत्नी लक्ष्मीनारायण थी । रत्ना व उसकी बेवा का देहान्त होने के बाद कानूनन राजस्व रिकॉर्ड में उनकी आराजियात उनकी एकमात्र पुत्री किशनी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु तत्समय परसा ने किशनी के ससुराल में होने का नाजायज फायदा लेते हुए गलत कथनों के आधार पर विधि–विरूद्ध तरीके से रत्ना व उनकी पत्नी का नाम हटाते हुए तथा तीजू पत्नी शंकर का भी स्वंय को वारिस बताते हुए स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया । वादीगण किशनी के पुत्र पुत्रियॉ हैं । वादग्रस्त आराजी में कानूनन रत्ना के वारिसान में पुत्री किशनी (मृतक) के वारिसान वादीगण का हिस्सा 1/2 व परसा मृतक के वारिसान प्रतिवादी कम 1 व 2 का 1/2 हिस्सा निहित होता है जिस पर वादीगण अपने हिस्से के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाने व तदनुसार इन्द्राज दुरूस्ती करवाते हुए राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने व वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के मध्य मौके पर बंटवारा कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित किया जावे । वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के मध्य नियमानुसार विभाजन किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें तथा वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने दें तथा वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं वसीयत तथा खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.11.2018 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 व 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 1 व 6 के निर्णय में शंकर व उसकी बेवा तीजू के लाऔलाद फौत होने पर शंकर के 1/2 हिस्से के वारिस मृतक रतना के वारिस रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 तथा अपीलान्टगण को मानने में त्रुटि की है जबकि शंकर व उसकी पत्नी के कोई औलाद नहीं थी । शंकर के फौत होने पर उसके 1/2 हिस्से का उत्तराधिकारी उसकी बेवा तीजू बाई हुयी । तीजू बाई का स्वर्गवास सन् 1992 में हुआ । शंकर की मृत्यु के कई वर्षो पूर्व रतना का स्वर्गवास हो चुका था जिससे शंकर की बेवा तीजू बाई के स्वर्गवास के समय केवल मात्र शंकर का भाई परसा मौजूद था जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (2) व 08 के अनुसार तीजू का उत्तराधिकारी उसके पति शंकर के वारिसों में शंकर का भाई परसा होने से तीजू के 1/2 हिस्से का एकमात्र अधिकारी परसा है । परसा की मृत्यु दिनांक 11.05.94 को हुई थी जिससे पूरी भूमि के अधिकारी अपीलान्टगण हैं तथा पूरी भूमि अपीलान्टगण के कब्जे व खातेदारी में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने कोटा सरक्यूलर तथा पुराने हिन्दू कानून के विपरीत निर्णय पारित किया है । रत्ना का स्वर्गवास सन् 1956 को हो चुका था उसकी पुत्री भी रत्ना की मृत्यु के पूर्व शादी हो चुकी थी जिससे रत्ना की पुत्री किशनी बाई भी उत्तराधिकारी नहीं थी । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी नन्दा के खाते में दर्ज थी । नन्दा के 03 पुत्र हुए रतना, शंकर और परसा । रतना की मृत्यु सबसे पहले हुई उसके उपरान्त शंकर की मृत्यु सन् 1980 में हुई और उसके हिस्से की आराजी तीजू जो कि उनकी पत्नी थी उनके खाते में दर्ज हुई । तीजू की मृत्यु सन् 1992 में हुई । शंकर और तीजू लाऔलाद फौत हुए हैं, परसा जो अपीलान्ट के पिता हैं उनकी मृत्यु सन् 1994 में हुई है । अधीनस्थ न्यायालय ने शंकर और उनकी बेवा तीजू के लाऔलाद फौते होने पर उनके 1/2 हिस्से के वारिस रेस्पोडेन्टगण को मानने में त्रुटि की है जबकि शंकर की मृत्यु हुई तो उनके हिस्से की उत्तराधिकारी उनकी पत्नी तीजू हुई । तीजू की मृत्यु दिनांक 14.11.1992 को हुई है । शंकर की बेवा तीजू की मृत्यु के समय शंकर का भाई परसा मौजूद था । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (2) व 08 के अनुसार तीजू का उत्तराधिकारी उसके पति शंकर के वारिस के भाई परसा होने से परसा ही एकमात्र उत्तराधिकारी होगा । रतना का स्वर्गवास दिनांक 03.03.1955 को हो चुका था । रतना का कोई पुरूष वारिस नहीं था । एकमात्र पुत्री थी जिसका विवाह हो चुका था । इस कारण रतना 1/3 हिस्से के उत्तराधिकारी उसके भाई शंकर और परसा हैं । रतना की मृत्यु के पूर्व उनकी पुत्री किशनी बाई का विवाह हो चुका था । इस कारण किशनी बाई के वारिसों का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण का कब्जा भी नहीं है । जब भाई जीवित हैं तो बहिन के वारिसों को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ कई दस्तावेजात पेश किये हैं इन दस्तावेजात को साक्ष्य से साबित करवाया

जाना आवश्यक है । इस कारण आदेश 41 नियम 28 की पालना में प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2018 निरस्त किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में सी0जे0 2017 (3) सिविल (एससी) पेज 815, सीजे0 सिविल (राज0) 2019 पेज 657, 2017 (2) सीजे (एससी) पेज 381 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार पुत्रियों को विवाह के पश्चात् भी उत्तराधिकार प्राप्त है । अन्य वारिसों के साथ वे सहखातेदार बनते हैं । संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जा नहीं होता है । रतना की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय लागू होने से पूर्व नहीं हुई है वरन् सन् 1980 के आस–पास हुई है क्योंकि सन् 1975 की निर्वाचक नामावली में रतना का नाम दर्ज है जो रिकॉर्ड पर दस्तावेजात पेश किये हैं उनमें से अधिकांश दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता और रेस्पोडेन्ट वादी के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है । रेस्पोडेन्ट वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेज पेश किये हैं । ऐसी स्थिति में इन दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण को रिमाण्ड करने की आवश्यकता नहीं है । परसा की मृत्यु पर जो इंतकाल संख्या 198 खोला है उससे यही प्रमाणित होता है कि जब परसा की मृत्यु हुई तब तीजू जीवित थी। नन्दा के 03 पुत्र हुए हैं रतना, शंकर और परसा । रतना की पुत्री किशनी बाई वादीगण की माता है और परसा के उत्तराधिकारी अपीलान्टगण हैं । शंकर और तीजू लाऔलाद फौत हुई है ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 15 (2) के अनुसार अपीलान्टगण और रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी में संभाग से हिस्सा बनता है । रतना की मृत्यु का फर्जी प्रमाण पत्र अपीलान्टगण ने बनवाया है उसके लिए उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया गया है जिसमें चालान पेश हो चुका है । सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि खातेदारों के अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन करें । सेटलमेंट विभाग ने जो रतना व उनकी पत्नी की मृत्यु पर आराजी परसराम व तीजू बाई के खाते दर्ज करने का आदेश दिनाक 10.04.81 को पारित किया है वह अवैध है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज भफरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 1995 (राज0) पेज 38 एवं 40, आरएलडब्ल्यू 1994 (2) पेज 14, आरआरडी 1996 पेज 381, आरआरडी 1993 पेज 45, आरआरडी 2001 पेज 61, एआईआर 1987 ओरिसा पेज 105, एआईआर 1999 (एससी) पेज 1944, डीएनजे 2016 (2) पेज 473 उद्धरत की ।

10. अपील में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के कई प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट की ओर से पेश किया गया है जिसमें रतना के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न की गई है उक्त प्रमाण पत्र में मृत्यु की तिथि 03.03.1995 अंकित है । यह मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28.11.2011 को जारी किया गया है ।

11. एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 22.06.2016 को पेश किया गया है इस प्रार्थना पत्र के साथ भू–प्रबन्ध विभाग के आदेश दिनांक 10.04.1981 की प्रमाणित प्रति और परसा के द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.1981 और निर्वाचक

नामावली 1975, 1980 की प्रमाणित प्रतियॉं, पण्डे की बही की प्रति उसका अनुवाद, नामान्तरकरण संख्या 198 की प्रमाणित प्रति, प्रथमसूचना रिपोर्ट दिनांक 14.06.2019 की प्रमाणित प्रतियॉं है ।

12. एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 13.09.2019 को पेश किया गया है जिसमें एडीजे के आदेश दिनांक 06 अगस्त, 2019 की प्रति संलग्न की है ।

13. एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 10.12.2019 को पेश किया गया है जिसके साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 संलग्न की है ।

14. एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 05.02.2020 को पेश किया गया है इस प्रार्थना पत्र के साथ सेशन न्यायाधीश के आदेश दिनांक 19.12.2019 एवं जमानत आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है ।

15. एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 19.02.2020 को पेश किया गया है जिसके साथ रिलीज डीड द्वारा मन्नी बाई की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है ।

16. एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 04.01.2021 को पेश किया गया है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 1138 की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है । उक्त प्रार्थना पत्रों में से दिनांक 19.02.2020 और दिनांक 04.01.2021 को पेश किये गये प्रार्थना पत्रों के अलावा पूर्व में पेश किये गये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जा चुके हैं। दिनांक 19.02.2020 के प्रार्थना पत्र के साथ रिलीज डीड की प्रमाणित प्रति है और दिनांक 04.01.2020 के प्रार्थना पत्र के साथ नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति है ये दोनों ही दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड एवं पंजीकृत दस्जावेत की प्रमाणित प्रतियॉं हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

17. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागंण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से एक दावा हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है । दावे में वादीगण ने स्वयं को रतना रतना की पुत्री किशनी बाई का उत्तराधिकारी बताते हुए शंकर और तीजू के लाऔलाद फौत होने का कथन करते हुए 1/2 हिस्से के लिए हक घोषणा का दावा पेश किया है । दावे का प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया गया है और जवाबदावे की विशेष आपत्ति में यह कथन किया गया है कि किशनी बाई का वादग्रस्त आराजी में कोई हक एवं अधिकार नहीं है और उनका उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है । वादीगण को यह दावा लाने का अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता परसा के तन्हा खाते में दर्ज थी और अब प्रतिवादीगण के तन्हा खाते एवं कब्जे में है । आराजी परसा के तन्हा खाते में दर्ज है यह जानकारी शुरू से ही वादीगण की माता किशनी बाई को थी । किशनी बाई ने अपने जीवनकाल में कभी कोई आपत्ति नहीं की है इस कारण वादीगण आपत्ति करने से एस्टोप्ड हैं । वादीगण की कब्जा प्राप्त करने की मियाद अवधि समाप्त हो चुकी है और उनके समस्त

हक–हकूक समाप्त हो चुके हैं । विकल्प में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी स्वयं का खातेदार होना कथन किया है ।

18. अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2059–62 नया खाता संख्या 187 प्रदर्श–1 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम नान्ता की कुल 03 किता की 0.14 हैक्टर आराजी रतना, शंकर, परसा पिता नन्दा व नन्दू बेवा नन्दा हिस्सा 1/4, रतना, लक्ष्मण, बसन्ता पिता पन्ना हिस्सा 1/2, औंकार पिता हीरा हिस्सा 1/4 दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 3 पेश किया है जिसके अनुसार कुल 17 किता की रकबा 2.41 हैक्टर आराजी मोडू पुत्र परसा मन्नी पुत्र परसा, भंवरी बेवा हिस्सा 1/2, तीजू, शंकर हिस 1/2 दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 8 पेश किया है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी परसा वल्द नन्दा, तीजू बेवा शंकर के खाते में संभाग से दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2016–24 प्रदर्श– 4 पेश किया है जिसके अनुसार आराजी रतना, शंकर, परसा पिसरान नन्दा, नन्दू बेवा नन्दा के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2002–05 प्रदर्श–05 पेश किया है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी नन्दा के खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–6 पेश किया है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 7 पेश किया है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रतना, शंकर, परसा नन्दू बेवा नन्दा के खाते में दर्ज है ।

19. दस्तावेजात में प्रतिवादी की ओर से रसीद लागन प्रदर्श – ए 1 लगायत ए–22, रसीद प्रदर्श–ए–23, मण्डी समिति के विकय की प्रति प्रदर्श– ए–24 लगायत ए–30 पेश किये गये हैं । इसके अलावा पत्रावली पर एक एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श – ए–2 और एडीजे 03 में मोडू लाल के बयान प्रदर्श– ए–3 के रूप में संलग्न है । इस प्रकार प्रदर्श– ए–2 और ए–3 दोनों दो बार दस्तावेजात में अंकन किया गया है । इसके अलावा पत्रावली पर परसराम के मृत्यु प्रमाण पत्र और तीजू बाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियॉं संलग्न है जिसको प्रदर्श नहीं करवाया गया है । परसराम के मृत्यु का पंजीयन दिनांक 13.06.2000 को हुई और तीजूबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीयन दिनांक 13.10.2008 को हुई है ।

20. अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से बयान मुकेश पीडब्ल्यू–1, नन्दकिशोर पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

21. प्रतिवादी की ओर से बयान मन्नी बाई डीडब्ल्यू–1, मोडूलाल डीडब्ल्यू–2, बाबूलाल डीडब्ल्यू–3, डीडब्ल्यू–4 रामकल्याण कराये गये हैं ।

22. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनके कम में प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे । इस कम में इस प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से जो दस्तावेजात रतना की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई है उससे इस प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है क्योंकि सर्वप्रथम यह मृत्यु प्रमाण पत्र रतना की मृत्यु की तिथि 03.03.1955 को दर्शाते हुए दिनांक 28.11.2018 को अपील के विचाराधीन रहते हुए पंजीबद्ध करवाया गया है । इस

अपील में अपीलान्ट ने यह कथन किया है कि रतना की मृत्यु दिनांक 03.03.1955 को हुई थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय में उन्होंने जवाबदावे में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि रतना की मृत्यु दिनांक 03.03.1955 को हुई थी इस कारण किशनी बाई का वादग्रसत आराजी में कोई अधिकार नहीं है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावे में किये गये कथन के विपरीत अपील में कथन करने से एस्टोप्ड हैं । ऐसी स्थिति में इस दस्तावेज के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि रतना की मृत्यु दिनांक 03.03.1955 को हुई थी । चूँकि अपीलान्ट के द्वारा जवाबदावे में यह कथन नहीं किया गया है इस कारण इस दस्तावेज के आधार पर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है । जहाँ तक रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये दस्तावेज का प्रश्न है उनमें से मात्र नामान्तरकरण संख्या 198 जो कि राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति है जिसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता वो ही अपील में विचारणीय है । ऐसी स्थिति में इस दस्तावेज के कारण भी प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने की आवश्यकता नहीं है । परीक्षण न्यायालय में जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श–03 पेश की गई उसमें वादग्रस्त आराजी मोडू पुत्र परसा, मन्नी पुत्री परसा और भंवरी बेवा परसा हिस्सा 1/2, तीजू बेवा शंकर हिस्सा 1/2 दर्ज है और नामान्तरण संख्या 198 जो कि दिनांक 24.03.95 को खोला गया है उसमें परसा की मृत्यु हो जाने पर उनके 1/2 हिस्से को उनके वारिसों के नाम अंकित किया गया है और 1/2 हिस्से में तीजू का नाम अंकित है । यह नामान्तरकरण नकल जमाबन्दी संवत् 2059–62 को समर्थित कर रहा है इस कारण अपील के निस्तारण में इसका अवलोकन एवं विश्लेषणं किया जा रहा है । इन तथ्यों के आधार पर विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की प्रकरण को रिमाण्ड करने से सम्बन्धित जो डीएनजे 1995 (राज0) पेज 38 एवं 40, आरएलडब्ल्यू 1994 (2) पेज 14, आरआरडी 1996 पेज 381, आरआरडी 1993 पेज 45, आरआरडी 2001 पेज 61, एआईआर 1987 ओरिसा पेज 105, एआईआर 1999 (एससी) पेज 1944, डीएनजे 2016 (2) पेज 473 नजीरें हैं वे उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं ।

23. प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी नन्दा के खाते से रतना, शंकर और परसा, नन्दू बेवा नन्दा के खाते में दर्ज हुई है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 7 से यह प्रमाणित होता है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 8 के अनुसार आराजी परसा और तीजू बाई के खाते में दर्ज हुई है । चूँकि किशनी बाई रतना की पुत्री है इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार रतना का 1/3 हिस्से में वह सहखातेदार रतना की मृत्यु पर दर्ज होने की अधिकारी है । रतना की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नहीं हुई थी । ऐसी कोई प्लीडिंग्स भी अपीलान्टगण की परीक्षण न्यायालय में नहीं थी । अपील में रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो निर्वाचक नामावली 1975, 1980 की प्रतियॉ पेश की गई है उसमें रतना का नाम अंकित है । इससे भी यही प्रमाणित होता है कि रतना की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लगू होने से पूर्व नहीं हुई है । इस प्रकार रतना की मृत्यु हो जाने पर उनका 1/3 हिस्सा उनकी पुत्री किशनी बाई के खाते में दर्ज होना चाहिए था जो नहीं किया गया है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श – 8 में परसा और तीजू बाई को संभाग से सहखातेदार दर्ज किया गया है जबकि इसमें परसा, तीजूबाई और किशनी बाई का संभाग से 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था ।

24. इस प्रकरण में यह विचारणीय है कि तीजूबाई की मृत्यु के समय परसा जीवित था अथवा नहीं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 3 संलग्न है उसमें मोडू पुत्र परसा मन्नी पुत्री परसा भंवरी बेवा परसा हिस्सा 1/2 और तीजू बाई हिस्सा 1/2

दर्ज है । इस प्रकार इस जमाबन्दी से यही आशय निकलता है कि परसा की मृत्यु के समय तीजू बाई जीवित थी क्योंकि परसा की मृत्यु हो जाने पर इंतकाल खोला जाकर उनके वारिसों का नाम उनके 1/2 हिस्से में दर्ज किया गया है और तीजू बाई का नाम यथावत अंकित है । इस क्रम में अपील में रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 198 पेश किया गया है उसके अनुसार भी दिनांक 20.12.1994 की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार परसा की मृत्यु हुई है और उनके वारिसों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर परसा के स्थान पर उनके वारिसों का नाम दर्ज किया गया है और तीजू बाई का नाम यथावत रखा गया है यदि परसा की मृत्यु से पूर्व ही तीजू बाई की मृत्यु हो चुकी होती तो तीजू बाई की मृत्यु का उल्लेख भी रिपोर्ट में होता एवं उसका भी नामान्तरकरण खोला गया होता । जहॉ तक तीजू बाई एवं परसा के मृत्यु प्रमाण पत्र जो परीक्षण न्यायालय में पेश किये गये हैं की प्रतियों का प्रश्न है ये प्रदर्श नहीं करवाये गये हैं और परसराम की मृत्यु का प्रमाण पत्र दिनांक 13.06.2000 को पंजीबद्ध करवाया गया है और तीजू बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.10.2008 को दावा दायरी के उपरान्त पंजीबद्ध करवाया गया है । चूँकि ये दोनों ही दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाये गये हैं, इसलिए उन्हें साक्ष्य में पढा नहीं जा सकता । इस प्रकार पेश किये गये दस्जावेजात से यही आशय निकलता है कि परसराम की मृत्यु के उपरान्त तीजूबाई की मृत्यु हुई है और तीजू बाई की मृत्यु हो जाने पर उसके हिस्से की आराजी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (2) व धारा 08 के शिड्यूल 04 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संभाग से प्राप्त करने के अधिकारी हैं । तद्नुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संभाग से हित–निहित है ।

25. जहॉ तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जा नहीं होता है और नामान्तरकरण वादीगण की माता के पक्ष में नहीं खोले जाने के आधार पर उनके अधिकार वादग्रस्त आराजी में समाप्त नहीं होते हैं क्योंकि नामान्तरकरण खोला जाना एक फिसकल प्रकिया होती है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

26. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2018 बहाल रखा जाता है ।

27. निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/1/2021

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2018/00595

1. मोडू लाल आत्मज परसा जी जाति माली निवासी मोतीकुआ तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मन्नी बाई पत्नी दुर्गाशंकर सैनी पुत्री स्व0 श्री परसा जी माली निवासी पावर हाउस के पास, माता जी के मंदिर के सामने खाई रोड, नयापुरा कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सुरेश पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण जी माली निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. मुकेश स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण जी माली निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. सीता बाई पत्नी कैलाश जाति माली (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. ललिता पुत्री सीता पत्नी राजकुमार सुमन निवीस छावनी कोटा ।
   3/2. पवन उर्फ रिंकू पुत्र कैलाश माली निवासी कोटडी गोरधनपुरा कोटा ।
4. सुगना बाई पत्नी रामपाल (तलाकशुदा) निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. मंजू पत्नी रामस्वरूप माली निवासी पुलिस लाईन कोटा ।
6. भूली पत्नी रमेश माली निवीस बांस का कुआ के पास, झालावाड ।
7. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 47/दावा/2008

1. सुरेश पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण जी माली निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. मुकेश स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण जी माली निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. सीता बाई पत्नी कैलाश जाति माली (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. ललिता पुत्री सीता पत्नी राजकुमार सुमन निवीस छावनी कोटा ।
   3/2. पवन उर्फ रिंकू पुत्र कैलाश माली निवासी कोटडी गोरधनपुरा कोटा ।

4. सुगना बाई पत्नी रामपाल (तलाकशुदा) निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. मंजू पत्नी रामस्वरूप माली निवासी पुलिस लाईन कोटा ।
6. भूली पत्नी रमेश माली निवासी बांस का कुआ के पास, झालावाड ।

--वादी

बनाम

1. मोडू लाल आत्मज परसा जी जाति माली निवासी मोतीकुआ तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. मन्नी बाई पत्नी दुर्गाशंकर सैनी पुत्री स्व0 श्री परसा जी माली निवासी पावर हाउस के पास, माता जी के मंदिर के सामने खाई रोड, नयापुरा कोटा ।
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

--प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.11.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.01.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.11.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिकी आज तारीख 27.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

27/1/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा